प्राप्त ग्राम शेरगढ की मूल सीट की प्रमाणित फोटोप्रति में पैमाना लगाने पर आराजी खसरा नम्बर 37 के पूर्व के गट्ठे 13 अर्थात् 26 मीटर पश्चिम के 14 गट्ठे अर्थात् 28 मीटर, उत्तर में 19 गट्ठे अर्थात् 385 मीटर तथा दक्षिण में 13 गट्ठे अर्थात् 26 मीटर बैठते हैं। जिसके अनुसार क्षेत्रफल 864 वर्गमीटर बैठता है जो जमावन्दी में अंकित रकबा 0.08 है0 से कम नही है। अतः वाद खारिज योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट को तहसीलदार बयाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी बयाना को दिनांक 30.06.2017 को अग्रेषित किया गया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी बयाना ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है जो कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया था कि भूमि मौके पर मापने पर कम बैठती है जबकि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ग्राम शेरगढ की मूल शीट की प्रमाणित फोटोप्रति में पैमाना लगाकर रकबा जमाबन्दी के रकबे के अनुसार ही होने का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होना अंकित बताया है। पटवारी हल्का द्वारा न तो मौके पर ही अपीलान्ट/प्रार्थी की उपस्थिति में माप की गई और न ही यह उल्लेख किया गया कि खसरा नम्बर 37 की वर्तमान नक्श किश्तवार की मूल प्रति से नाप क्यों नही की गई। इसके अलावा तहसीलदार बयाना द्वारा भी बिना परीक्षण किये ही केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही अग्रेषित किया है जो कि न्यायोचित नहीं है। इसलिए पटवारी हल्का व तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.01.2018 को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.01.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बयाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार से जांच करवा कर नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर